पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 117/2019

अनवान :

1. रामेश्वर पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र कुशालाराम जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. रोशनी पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. रामकोरी पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. आईसीआईसीआई शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भांगवा के खाता सं0 64/71 के खसरा सं0 296 की 9.281 है0 खसरा सं0 324 की 1.619 है0 कुल 10.9000 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा भांगवा के ही खाता सं0 82/87 के खसरा सं0 294 की 2.1620 है0 खसरा सं0 295 की 1.0750 है0 खसरा सं0 323 की 4.2490 है0 खसरा सं0 326 की 2.0100 है0 खसरा सं0 327 की 2.7950 है0 कुल 12.2910 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 1/16 हिस्सा खातेदारी दर्ज हे। इसी प्रकार रोही भांगवा के ही खाता सं0 89/96 के खसरा सं0 324/438 की 0.1900 है0 में प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 544/513 के खसरा सं0 5 की 7.4610 है0 खसरा सं0 6 की 8.3470 है0 कुल 15.8080 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 सुभाषचन्द्र संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा के व प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से वादिया सं0 3 ने अपना सम्पूर्ण हंक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 सुभाषचन्द्र के नाम संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज०)

27.6.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज०)

प्रकरण सं0 : 117/2019

अनवान :

1. रामेश्वर पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र कुशालाराम जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. रोशनी पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. रामकोरी पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. आईसीआईसीआई शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनियां **: वादी**

निर्णय **दिनांक :** 27.06.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भांगवा के खाता सं0 64/71 के खसरा सं0 296 की 9.281 है0 खसरा सं0 324 की 1.619 है0 कुल 10.9000 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा भांगवा के ही खाता सं0 82/87 के खसरा सं0 294 की 2.1620 है0 खसरा सं0 295 की 1.0750 है0 खसरा सं0 323 की 4.2490 है0 खसरा सं0 326 की 2.0100 है0 खसरा सं0 327 की 2.7950 है0 कुल 12.2910 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 1/16 हिस्सा खातेदारी दर्ज हे। इसी प्रकार रोही भांगवा के ही खाता सं0 89/96 के खसरा सं0 324/438 की 0.1900 है0 में प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 544/513 के खसरा सं0 5 की 7.4610 है0 खसरा सं0 6 की 8.3470 है0 कुल 15.8080 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के संयुक्त हिन्दू परिवार की खातेदारी है तथा पहले वादभूमि वादी के दादा कुशाला के समय की खातेदारी है। वादी के दादा के देहान्त होने पर वादभूमि का विरासतन इन्तकाल तन्हा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रतिवादी बनवारीलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया।

वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था। चूंकि प्रतिवादी सं0 4 के पास काफी स्त्रीधन है तथा भरण पोषण की अलग से व्यवस्था की हुई है। जिसके चलते उसका वादभूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण ने सं0 1 ता 3 का उक्त भूमि में हक एवं हिस्सा है जिन्होने पारिवारिक सैटलमेन्ट किया है तथा पारिवारिक सैटलमेन्ट में प्रतिवादी सं0 3 रोशनी ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 सुभाषचन्द्र के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया जिस पर कुल वादभूमि जो प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से दर्ज है उसमें वादी व प्रतिवादी सुभाषचन्द्र को संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी बनवारीलाल को 1/4 हिस्सा भूमि प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में कुल वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किये। प्रतिवादी सं0 5 बैंक को तर्क किया गया। प्रतिवादी सं0 6 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रामेश्वर पुत्र बनवारीलाल के बयान करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम भांगवा खाता सं0 64/71, 82/87, 89/96 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, 2 व 3, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम अजीतपुरा खाता सं0 544/513 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 4, फोटो प्रति जमाबन्दी भूप्रबन्ध (सैटलमेन्ट) विभाग ग्राम भांगवा सम्वत् 2020 प्रदर्श 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फोटो प्रति जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम अजीतपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 15, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 16 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के संयुक्त हिन्दू परिवार की खातेदारी है तथा पहले वादभूमि वादी के दादा कुशाला की खातेदारी थी। वादी के दादा के देहान्त होने पर वादभूमि का विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी बनवारीलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद में वादी ने ग्राम भांगवा व अजीतपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति जमाबन्दी भूप्रबन्ध (सैटलमेन्ट) विभाग ग्राम भांगवा सम्वत् 2020 प्रदर्श 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फोटो प्रति जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम अजीतपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 15 प्रदर्शित करवाये है उनमें वाद भूमि वादी के दादा कुशाला वल्द

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बुद्धा के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 16 में बनवारीलाल के वारिसान में पत्नी रामकोरी, दो पुत्र सुभाषचन्द्र व रामेश्वर एवं एक पुत्री रोशनी होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भांगवा के खाता सं0 64/71 के खसरा सं0 296 की 9.281 है0 खसरा सं0 324 की 1.619 है0 कुल 10.9000 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा भांगवा के ही खाता सं0 82/87 के खसरा सं0 294 की 2.1620 है0 खसरा सं0 295 की 1.0750 है0 खसरा सं0 323 की 4.2490 है0 खसरा सं0 326 की 2.0100 है0 खसरा सं0 327 की 2.7950 है0 कुल 12.2910 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 1/16 हिस्सा खातेदारी दर्ज हे। इसी प्रकार रोही भांगवा के ही खाता सं0 89/96 के खसरा सं0 324/438 की 0.1900 है0 में प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 544/513 के खसरा सं0 5 की 7.4610 है0 खसरा सं0 6 की 8.3470 है0 कुल 15.8080 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 सुभाषचन्द्र संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा के व प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से वादिया सं0 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 सुभाषचन्द्र के नाम संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

23.6.19

(सुवाराम पिपड़ेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़